न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : **श्री रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S**

राजस्व वाद संख्या 102/25 **(प्रा.पत्र)**

GCMS No: 2025/293

उनवान

1. मैसर्स श्री पक्या नेचुरल स्टोन्स प्राइवेट लिमिटेड निदेशक पार्थ बोल्या पुत्र नरेश बोल्या जाति जैन निवासी भुवाणा उदयपुर जिला उदयपुर राज.।

.................प्रार्थी

बनाम्

1. श्री नितिन कुमार मीणा पिता हरिनारायण मीणा जाति मीणा निवासी 16 पवन विहार जयपुर जिला जयपुर (राज.)।
2. श्री प्रेमनारायण खराडी पिता शांतिलाल खराडी जाति खराडी निवारी कूवेडिया जायरा जिला उदयपुर राज.।
3. श्री भेरूलाल गमेती पिता लोगर गमेती जाति भील निवासी रकमपुरा बेडवास उदयपुर जिला उदयपुर राज.।
4. श्री मोहनलाल मीणा पिता भीमाराम मीणा जाति मीणा निवासी सुन्दरवास गिर्वा उदयपुर जिला उदयपुर राज.।
5. श्री भूमिधारी जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

...............विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री लक्ष्मण गिरी गोस्वामी, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: निर्णय :—

दिनांक 06.11.2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बग्गड पटवार हल्का बग्गड तहसील भीण्डर जिला उदयपुर में स्थित खाता संख्या नया 48 के आराजी न. 1501/264 किता 1 रकबा 0.9700 है. भूमि स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी मैसर्स श्री पक्या नेचुरल स्टोन्स प्राईवेट लिमिटेड निदेशक पार्थ बोल्या पुत्र नरेश बोल्या जाति जैन सा. भुवाणा उदयपुर के नाम पर अंकित है। उक्त आराजी का प्रार्थी एक मात्र खातेदार काश्तकार होकर अधिकारी एवं आधिपत्यधारी है। यह कि मौजा बग्गड पटवार हल्का बग्गड तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में स्थित आराजी नं. 275, 276, 277, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, [illegible] 290, 291, 292, 293, 294 किता 16 रकबा 10.280 है. भूमि जो विपक्षी संख्या [illegible] खातेदारी की भूमि है जो विपक्षीगण के नाम पर दर्ज हैं।
2. यह कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की कलम न. [illegible] में वर्णित आराजी न. [illegible]/264 किता 1 रकबा 0.9700 है. भूमि में पहुचने के लिए 30 फिट चौडा रास्ता विपक्षीगणों की कलम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:54:09 IST
Reason: SelfAttested

नं 2 में वर्णित आराजीयात में से आराजी नं 275 में होते हुए प्रार्थी की भूमि म
जिससे प्रार्थी के आने जाने, ट्रक, ट्रेक्टर, ट्रोली, बैलगाडी आदि भी लाने ले जाने
उपयोग किया जाता चला आ रहा है तथा प्रार्थी की उक्त आराजी पर आने जाने का
मात्र रास्ता है एव उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की भूमि में पहुचने का अन्य कोई रास्ता
जिससे प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी न. 1501/264 किता 1 रकबा 0.9700 है
पहुचने के लिए विपक्षी की आराजी न 275 में से 30 फिट चौडा रास्ता कायम किया जाए
निवेदन किया।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण
विपक्षी संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहें जिससे विपक्षी संख्या 1 से 4 के वि
एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की
तथा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रि
में बताया कि प्रार्थी मैसर्स श्री पक्या नेचुरल स्टोन प्राइवेट लि. के पूर्ण निर्देशक पार्श्व
पिता नरेश बोल्या जाति जैन सा. भुवाना उदयपुर के नाम प.म. बग्गड के राजस्व ग्राम
की जमाबंदी स. 2078–81 के खाता न. 48 पर खसरा न. 1501/264 रकबा 0.9700 है कि
बीड प्र. भूमि दर्ज रेकर्ड है। यह कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु आराजी
275 रकबा 1.6300 किस्म बीड प्रथम में होकर आता–जाता है जो कि उक्त आराजी 275
खातेदारी भूमि रेकर्ड दर्ज है जो कि आराजी 311 किस्म रास्ता बिलानाम राज्य सरकार
लगती है। यह कि आराजी न. 275 रकबा 1.6300 है. किस्म बीड प्रथम जमाबंदी सं. 2078-
कि खाता न. 115 पर दर्ज खातेदार श्री नितिन कुमार पुत्र हरिनारायण मीणा हिस्सा 77/2
प्रेमनारायण पुत्र शांतिलाल खराडी 1/4, भेरूलाल पुत्र लोगर गमेती, जाति भील हि
155/2056, मोहनलाल पुत्र भीमाराम मीणा हिस्सा 328 के नाम खातेदारी हक से रेकर्ड दर्ज
तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि आराजी 275 में से होकर आने–जाने
सबसे छोटा एवं निकटतम दुरी का रास्ता प्रस्तावित है। यह कि प्रार्थी को स्वयं की खातेदारी
आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा खसरा
275 रकबा 1.6300 है. में से प्रस्तावित रास्ते हेतु लम्बाई 180 मीटर एवं चौडाई 10 मी
जिसका क्षै. न. 180 मी. x 10 मी. = 1800 वर्ग मीटर अर्थात 0.1800 है. भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित
की तथा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा राजस्व ग्राम बग्गड
वर्तमान डीएलसी दर 387000 रू. प्रति है. के अनुसार खसरा न. 1501/264 में आवागमन
रास्ता आराजी सं. 275 में से रकबा 0.1800 है अर्थात 1800 वर्ग मी. हेतु राजकीय राजकोष
जमा योग्य राशि रू. 139350 जमा योग्य

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी
एकतरफा बहस सुनी। अधिवक्ता ... प्रार्थना पत्र स्वीकार किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:54:09 IST
Reason: SelfAttested

रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया। हमने पाया कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी न. 1501/264 किता 1 रकबा 0.9700 है. भूमि में से आने जाने हेतु, ट्रेक्टर, ट्रोली आदि ले जाने के लिये विपक्षी की आराजी न. 275 में से 30 फीट चौडा रास्ता कायम किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा आराजी न. 1501/264 भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी न. 275 में से 1800 वर्ग मीटर (180 मी. x 10 मी.) (ल. x चौ.) भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट मे प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए नहीं होना बताया साथ ही प्रस्तावित रास्ता सबसे छोटा व निकटतम दुरी वाला रास्ता बताया। चूंकि प्रार्थी के भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की भूमि के अतिरिक्त अन्य किसी भूमि में से होकर कोई रास्ता नहीं गुजरता हैं जिससे रास्ता कायम किया जाना उचित प्रतित होता है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बग्गड पटवार हल्का बग्गड तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की आराजी न. 1501/264 किता 1 रकबा 0.9700 है. भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी न. 275 रकबा 1.6300 है. भूमि में से 0.1800 है. अर्थात 1800 वर्ग मीटर (180 मी. x 10 मी.) (ल. x चौ.) का रास्ता प्रस्तावित राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की डीएलसी दर 387000/— अक्षरे तीन लाख सितियासी हजार रूपयें प्रति हैक्टेयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता की कुल कीमत 69675/— रूपये का दुगुना 139350/— रूपयें एक लाख उनचालीस हजार तीन सौ पचास रूपयें राशि प्रार्थी से वसूल कर विपक्षी संख्या 1 से 4 को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जावें। उक्त राशि विपक्षी संख्या 1 से 4 को अदा करने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकर्ड में बिलानाम गैर गुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:54:09 IST
Reason: SelfAttested